भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2518

दिनांक 17 **मार्च**, 2021

पेट्रोल/डीजल के लिए डिलेवरड कमोडिटी सिस्टम

2518. **श्री नीरज डांगी**:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पेट्रोल/डीजल को भी द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) जैसी डिलेवरड कमोडिटी की तरह राष्ट्र स्तर पर एक कर प्रणाली के अंतर्गत लाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या देश भर में आम जनता को समान कीमत पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध कराने के संबंध में अध्ययन तथा विश्लेषण करने हेतु एक उप समिति या विशेष समिति का गठन करने का प्रस्ताव है?

उत्तर

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

(**श्री धर्मेन्द्र प्रधान**)

(क) से (ग): संवैधानिक दृष्टि से जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए उत्पादों अर्थात पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (आम तौर पर पेट्रेल के रूप मे जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन सहित सभी पेट्रोलियम उत्पाद माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम के दायरे में शामिल हैं। संविधान के अनुच्छेद 279ए (5) के अनुसार जीएसटी परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिससे जीएसटी के दायरे बाहर रखे गए उत्पादों अर्थात पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) पर माल और सेवा कर की उगाही की जाएगी। जीएसटी परिषद में विधायन सहित सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों (यूटी) का उनके वित्त अथवा कराधान के प्रभारी मंत्री अथवा राज्य और संघ शासित प्रदेश द्वारा नामांकित अन्य मंत्री द्वारा प्रतिनिधित्व है।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए उत्पादों को जीएसटी में शामिल करने के लिए जीएसटी परिषद की सिफारिश की आवश्यकता होगी। अभी तक जीएसटी परिषद ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है।

****